शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 70@जी0आई0-56/बावन-1-2014-01(142)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी,2014

विषय:12वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22.09.2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 75वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत इन्दिरा आवास योजना के निर्माण के लिए केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर , अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(38)/2013-पी0पी0, दिनांक 30.09.2013 से जनपद सुल्तानपुर में 574 इन्दिरा आवासों हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 401.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 1,50,68,000/-(रू0 एक करोड़ पचास लाख अड़सठ हजार म) □□□ □□□□ सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 50,22,500/-(रू0 □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□त्र) अर्थात् कुल रू0 2,00,90,500/- (रू0 दो करोड़ नब्बे हजार पॉच सौ मात्र) वर्ष 2013-14 में योजना हेतु उपलब्ध बजट रू0 1675.48 लाख में से अवमुक्त करते□□□ आपके निवर्तन पर रखने व य करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत प्रदान करते हैं :-

shasanadesh.nic.in

(केन्द्रांश 75 एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) (रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□ □□□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	□□□ □□□□	अवमुक्त प्रथम किश्त		□□□ अवमुक्त □□□□□□ (□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सुल्तान□□ खण्ड □□□□	इन्दिरा □ □□□	174	0.70	91.35	30.45	121.80	45.68	15.225	60.905
2	,,	□□□	400	0.70	210.00	70.00	280.00	105.00	35.00	140.00
		योग	**574**	**1.40**	**301.35**	**100.45**	**401.80**	**150.68**	**50.225**	**200.905**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। □□□ सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक □□, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि □□ व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों □□ □□जना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समः □□ □□□□ □□□□□ □□□ राज्य □□□□□ द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त □□□□शि आहरित कर जनपद के जिला ग्राम्य विकास □□□□□□ □□ वैयक्तिक लेखा खाते में जमा की जायेगी और योजना की गाइड लाइन्स □□□ □□□□ द्वारा स□□-□□□ पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपा सुनिश्चित करते हुए आवश्यकत□□□□ आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

4- प्रश्नगत कार्य को 03 माह में अवश्य पूरा कर लिया जाय। कार्य को □□□□ ही धनराशि से पूर्ण किया जाय। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।

5- धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा वित्त (□□-व्ययव□) □□0-1 □□□□0जा0□□0-□□-1-901/□□-2011- 231/2011, सम्बन्ध में लगाई गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी को अन्य किसी योजना से लाभ न दिया गया हो। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आ□□ की पात्रता हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन किया जायेगा।

7- लाभार्थियों का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यमान बी0पी0ए□0 पात्रता सूची के आधार पर तथा निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का भी □□□□ सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त् धनराशि के उपभोग में मिव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय□

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, इन्दिरा आवासों के फोटोग्राफ्स तथा लाभार्थियों की सूची की दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। □□परान्त □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य □□□□□ □□□ □□ उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वार अवमुक्त की जा रही धनराशिक अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा एक □□□ खाता मेन्टेन किया जायेगा।

11- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □□- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक **"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800- अन्य य-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0102-अल्पसंख्यक बाहुल् जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्त र्गत पक्का घर (इन्दिरा आवास) आदि का निर्माण (के075/रा025-के0+रा0)-24-वृहत् निर्माण कार्य"** □□नामें डाला □□□□□

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-103/□□- 2014, दिनांक 24.02.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□□

संख्या (1)/□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□

2- □□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत □□□□, 11वां तल पर्यावरण □□□, □□0□□0 □ 0 काम्पलेक्स □□□ □□, नई दिल्ली।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभ□□

4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरो के साथ प्रेषित कि कृपया नियमानुसार लाभार्थियों का चयन करने हेतु अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- □□□□कारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सुल्तान□□□

7- □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□□

8- लेखाधिकारी/वेब अधिकार, अल्पसंख्यक कल्य□ □□□□□, □0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे गत वित्तीय स्वीव□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □ष्ट करें।

9- □□□ □□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

10- □□□ □□□, □□□, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

11- वित्त ई-11/वित्त (आ□-व्ययक□) □□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

12- □□ड फाइल।

आज्ञा से,

shramadesh.nic.in

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□□

shasanadesh.nic.in